समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

DGCA का एअर इंडिया पर सख्त एक्शन, 3 अफसरों को हटाने के निर्देश ; 10 दिनों मे मांगी रिपोर्ट।

Publisher Published on 21 Jun 2025

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA हुआ सख्त, क्रू शेड्यूलिंग मे चूक पर लिया गया कड़ा फैसला।

DGCA: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एअर इंडिया में **क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग मे लापरवाही** को गंभीरता से लेते हुए **तीन वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाने का निर्देश दिया है**। साथ ही **DGCA ने एअर इंडिया को निर्देश** दिया है कि इन अफसरों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर संस्था को सौंपी जाए।

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लिया गया फैसला
यह कार्रवाई **12 जून 2025** को **अहमदाबाद एयरपोर्ट** पर हुए भयानक विमान हादसे के बाद की गई है। इस हादसे में लंदन जा रही फ्लाइट टेकऑफ के समय नियंत्रण खो बैठी और पास के मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गई। इस दुखद दुर्घटना में **241 यात्रियों की मौत हो गई**, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।

मेडिकल कॉलेज की कैटीन मे मौजूद डॉक्टरों और **मेडिकल स्टाफ** की भी जान गई। हादसे ने देश ही नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है।

DGCA का सख्त संदेश : सुरक्षा मे कोई समझौता नहीं
DGCA ने कहा है कि यह घटना **एअर इंडिया की संचालन व्यवस्था** में गंभीर खामियों को उजागर करती है। संस्थान ने एअर

इंडिया को अपनी शेड्यूलिंग और **क्रू मैनेजमेटं प्रक्रियाओं** में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए हैं। **DGCA** ने साफ किया कि उड़ान सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एयरलाइंस के संचालन मे पांरदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

कौन है हंटाए गए अधिकारी ?

सूत्रों के अनुसार, जिन तीन अधिकारियों को हटाया गया है, वे एयर इंडिया के **क्रू ऑपरेशंस** और **फ्लाइट शेड्यूलिंग विभाग** से जुड़े थे। ये अधिकारी **ऑपरेशनल लापरवाही** के लिए जिम्मेदार माने गए हैं, और उन्हें अब किसी भी तरह के **क्रू मैनेजमेटं** कार्य से दूर रखा जाएगा।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.